रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256430
CG-DL-E-16082024-256430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 461]	नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 14, 2024/श्रावण 23, 1946
No. 461]	NEW DELHI, WEDNESDAY AUGUST 14, 2024/SHRAVANA 23, 1946

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 500(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 12 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रेल दावा अधिकरण (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 1997 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रेल दावा अघिकरण में रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (समूह 'क' और 'ख' पद) भर्ती नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना:-** ये नियम, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 1 में उल्लिखित पदों को लागू होंगे।

3. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि:-** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **विद्यमान कर्मचारियों का आमेलन या नियमितिकरण:-** (1) इन नियमों के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति जो इन नियमों की प्रारंभ की तारीख को स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के आधार पर रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार का पद धारण करते हैं और जो इन नियमों में अधिकथित अर्हताएं और अनुभव पूरा करते हैं और जिन्हें विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा उपयुक्त समझा गया है, अपनी-अपनी श्रेणियों में आमेनल/नियमितिकरण के लिए पात्र इस शर्त के अधीन रहते हुए होंगे कि ऐसे व्यक्ति आमेलन के लिए अपने विकल्प का प्रयोग करें और उनके मूल विभाग को अधिकरण में उनके आमेलन पर कोई आपत्ति नहीं है।

(2) उप नियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों की ज्येष्ठता, उक्त पदों पर उनकी नियमित नियुक्ति की तारीख के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी।

परंतु यह कि समान स्रोत से भर्ती किए गए अधिकारियों की ज्येष्ठता और मूल विभाग में उनके द्वारा धारित पदों पर उनकी ज्येष्ठता में विघ्न उत्पन्न नहीं किया जाएगा।

(3) आमेलन के लिए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया जा सकेगा।

6. **निरर्हता:-** वह व्यक्ति, —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

8. **व्यावृत्ति :-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) रजिस्ट्रार	1* (2024) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14, (1,44,200 — 2,18,200 रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण (क) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी : — (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 (1,23,100 - 2,15,900 रु.) या समतुल्य में नियमित	लागू नहीं।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की हो; और (ख) (i) किसी मान्यता प्राप्त विशविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य हो और (ii) न्यायालय संबंधी प्रक्रियाओं, वाणिज्यिक या रेल दावा संबंधी मामलों में जिसके अंतर्गत समूह 'क' स्तर पर प्रशासनिक अनुभव भी है, दस वर्ष का अनुभव, (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (iii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2) अपर रजिस्ट्रार।	20* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 12, (78,800 — 2,09,200 रु.).	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण।	प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों; उच्च न्यायालयों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जिन्होंने नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11 (67,700 - 2,08,700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर, पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों :	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में डिग्री या समतुल्य; और (ii) प्रशासनिक या लेखा या कार्मिक मामलों में दस वर्ष का अनुभव जिसके अंतर्गत वाणिज्यिक या रेल दावा संबंधी मामलों के व्यौहार या न्यायिक या न्यायिककल्प कृत्यों के देखरेख में तीन वर्ष का अनुभव भी हो। **टिप्पण:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (iii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3) सहायक रजिस्ट्रार।	20* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8, (47,600 – 1,51,100 रु.).	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति	**प्रतिनियुक्ति :** केंद्रीय सरकार या अधिनस्थ न्यायालयों के ऐसे अधिकारी, — (क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900 — 1,42,400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

		(iii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900 - — 1,42,400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हो; या (iv) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (35,400 — 1,12,400 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों, — (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समतुल्य : (ii) प्रशासनिक या लेखा कार्य या न्यायालय प्रक्रिया में तीन वर्ष का अनुभव। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। (iii) प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)		

[फा. सं. 2016/टीसी(आरसीटी)/5-11/डीएलआई/भाग-I]

रत्नेश कुमार झा, कार्यपालक निदेशक (लोक शिकायत)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2024

G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (3) of section 12 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (Act No. 54 of 1987) and in supersession of the Railway Claims Tribunal (Group ‘A’ and ‘B’ posts) Recruitment Rules, 1997, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Registrar, Additional Registrar and Assistant Registrar in the Railway Claims Tribunal, namely : —

1. **Short title and commencement :-** (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Group 'A' and 'B' posts) Recruitment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Application :-** These rules shall apply to the posts mentioned in column 1 of the Schedule, annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and scale of pay :-** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

4. **Methods of recruitment, age-limit, qualifications etc. :-** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said schedule.

5. **Absorption or regularisation of existing employees :-** (1) Notwithstanding anything contained in the provisions of these rules, the persons holding the posts of Registrar, Additional Registrar and Assistant Registrar on the date of commencement of the rules either on transfer or on deputation basis and who fulfill the qualifications and experience laid down in these rules and who are considered suitable by the Departmental Promotion Committee shall be eligible for absorption/regularization in the respective grades subject to the condition that such persons exercise their option for the absorption and that their parent Departments do not have any objection to their being absorbed in the Tribunal.

(2) The seniority of officers mentioned in sub-rule (1) shall be determined with reference to the dates of their regular appointment to the said posts.

Provided that, the seniority of officers recruited from the same source and in the posts held by them in the parent Department shall not be disturbed.

(3) Suitability of persons for absorption may be considered by a Departmental Promotion Committee.

6. **Disqualification :-** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax :-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Saving :-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age-limit and other concessions required to be provided for the Schedule Castes, the Schedule Tribes, other backward classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) Registrar	1* (2024) *subject to variation, dependent on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministerial	level-14, (Rs.1,44,200/-— Rs.2,18,200/-)	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of	Method of	In case of recruitment by	If, a	Circumstances in

probation if any.	recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	promotion or deputation or transfer grades from which Promotion or deputation or transfer to be made.	Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Transfer on Deputation or transfer.	Transfer on deputation or transfer (a) Officers of the Central Government or State Governments; High Courts:— (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With 3 years service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-13 (Rs.1,23,100/- — Rs.2,15,900/-) in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) (i) having a degree in Law from a recognised University or equivalent and (ii) Ten years experience in court procedures, Commercial or Railway Claims matters including administrative experience at Group 'A' level, (Period of deputation including period of deputation in another ex-Cadre post held immediately preceding this appointmentin the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (iii) The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation or transfer shall be not exceeding fifty-six years as on the closing	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		date of receipt of applications).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2) Additional Registrar.	20* (2024) *subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted, non-Ministerial.	level-12, (Rs.78,800/- — Rs.2,09,200/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Transfer on Deputation or transfer.	Transfer on deputation or transfer Officers of the Central Government or State Governments, High Courts: (a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With five years, regular service in posts in the level-11 (Rs.67,700/- — Rs.2,08,700/-) in the pay matrix or equivalent; and (b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Degree in law from a recognised University or equivalent; and (ii) ten years experience in administration or Accounts or personnel matters including three years experience of dealing with Commercial or Railway Claims matters or handling judicial or quasi-judicial functions. **Note:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (iii) the maximum age-limit for appointment by transfer on deputation or transfer shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications.	Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(3) Assistant Registrar.	20* (2024) *subject to variation,	General Central Service Group 'B' Gazetted,	level-8, (Rs.47,600/- — Rs.1,51,100/-).	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

	dependent on workload.	Ministerial.					

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Deputation.	**Deputation:** Officers of the Central Government or Subordinate Courts, — (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-7 (Rs.44,900/- — Rs.1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-7 (Rs.44,900/- — Rs.1,42,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; or (iv) with seven years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level-6 (Rs.35,400/- — Rs.1,12,400/-) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and (b) possessing the following qualifications and experience,— (i) Graduation from a recognized University or equivalent: (ii) three years' experience in administrative or accounts work or court procedures. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. (iii) the maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of the receipt of applications).	Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. 2016/TC(RCT)/5-11/DLI]

RATNESH KUMAR JHA, Executive Director (Public Grievances)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA